

निदेशालय चिकित्सा सेवायें  
कर्मचारी राज्य बीमा योजना, बिहार  
श्रम संसाधन विभाग।

प्रेषक,

डा0 राम बिनय प्रसाद,  
उपनिदेशक, चिकित्सा सेवायें।

सेवा में,

क्षेत्रीय निदेशक/राज्य चिकित्सा अधिकारी,  
कर्मचारी राज्य बीमा निगम,  
पंचदीप भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग,  
पटना।

पटना, दिनांक-

विषय- बीमित व्यक्तियों एवं उनके आश्रितों के चिकित्सा पर हुए व्यय के प्रतिपूर्ति संबंधित विपत्रों के भुगतान पर सहमति एवं निराकरण के संबंध में।

प्रसंग- आपका पत्रांक-42-U/13/14/1/16/SMC, दिनांक-10.12.19.  
महाशय,

उपर्युक्त प्रसंगाधीन विषयक आपके द्वारा विपत्रों को पूर्णरूपेण जांच कर स्वीकृति योग्य राशि का निर्धारण कर भेजा गया है।

इस संबंध में सूचित करना है, कि दिनांक-11.02.16 को सचिव, श्रम संसाधन विभाग, बिहार की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक की कार्यवाही की कंडिका 13 के आलोक में आपके द्वारा जांच कर सही पाये जाने के प्रतिवेदन के आधार पर भेजे गये 12 (बारह) विपत्रों को प्रतिहस्ताक्षरित कर अनुलग्नक सहित मूल में आपके पास भेजी जा रही है। वर्णित देयकों का भुगतान पूर्व में नहीं किया गया है, इसके पूर्ण जांचोपरांत ही RTGS/NEFT के माध्यम से नियमानुसार भुगतान की कार्रवाई करते हुए बीमित व्यक्ति को अपने स्तर से Email/phone/sms के माध्यम से सूचित करते हुए अपने वेबसाइट पर प्रदर्शित करे साथ ही साथ एडभाइस की प्रति अधोहस्ताक्षरी को Email : esis-bh@esic.in पर भी उपलब्ध कराये।

(क) पारित योग्य देयकों की सूची :-

क्र०सं०	बीमित व्यक्ति का नाम (श्री/श्रीमती)	बीमा संख्या	जाँच हेतु प्रेषित निदेशालय पत्रांक/दिनांक	जाँचोपरांत पायी गई सहमति हेतु देय राशि
1	अभिषेक कुमार	5126890636	643/22.08.19	37159.00
2	चंदन कश्यप	4215129485	643/22.08.19	8684.00
3	श्याम बाबू चौधरी	4201297605	643/22.08.19	8939.00
4	चंदन कश्यप	4215129485	643/22.08.19	19982.00
5	रामानंद यादव	4215663629	643/22.08.19	16665.00
6	ज्ञानेन्द्र प्रताप	4201446936	643/22.08.19	15088.00
7	तरुण कुमार	4215414602	643/22.08.19	16864.00
8	धर्मेन्द्र कुमार	4201386594	643/22.08.19	10097.00
9	श्याम बाबू चौधरी	4201297605	643/22.08.19	9488.00
10	कुन्दन कुमार	4215679116	643/22.08.19	59598.00
11	अमरजीत पंडित	4215381159	643/22.08.19	11079.00
12	प्रियंका कुमारी	4215231235	643/22.08.19	25066.00
			<b>कुल</b>	<b>238709.00</b>

रुपये (दो लाख अड़तीस हजार सात सौ नौ) मात्र

बिहार कोषागार संहिता 2011 के नियम 84 के अधीन निहित प्रावधान के आलोक में निदेशक द्वारा उपनिदेशक को पत्र एवं विपत्र पर हस्ताक्षर कर भेजने हेतु प्राधिकृत किया गया है।

अनु० - 12 (बारह) विपत्र मूल रूप में सभी अभिलेखों के साथ।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(डा0 राम बिनय प्रसाद)  
उपनिदेशक, चिकित्सा सेवायें

कृ०पृ०३०